संदर्भः आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/253/11/2017

मेसर्स आलमंड्ज़ रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लि. (बाद में आलमंड्ज़ इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लि. के रूप में ज्ञात) के मामले में अंतिम आदेश

यह आदेश आलमंड्ज़ इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड (इसमें इसके बाद दलाल के रूप में उल्लिखित) द्वारा कारण बताओ नोटिस के लिए दिये गये दिनांक 17 जुलाई 2017 के उनके उत्तर तथा 13 सितंबर 2017 को अपराह्न 3.00 बजे सदस्य (गैर-जीवन) के द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद में वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों के आधार पर जारी किया जाता है।

I. <u>पृष्ठभूमिः</u>

प्राधिकरण द्वारा 10/11/2014 से 12/11/2014 तक की अवधि के दौरान मेसर्स आलमंड्ज़ रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लि. का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया था। उक्त निरीक्षण का दायरा वित्तीय वर्ष 2012-13 और वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवधियों को समाविष्ट कर रहा था जिसके दौरान दलाल केवल पुनर्बीमा दलाल था। निरीक्षण के निष्कर्ष उनकी टिप्पणियों के लिए 27/02/2015 को सूचित किये गये थे। उक्त दलाल ने अपनी टिप्पणियाँ प्राधिकरण को दिनांक 09/03/2015 के अपने पत्र के द्वारा प्रस्तुत की थीं। उक्त दलाल को बाद में एक सम्मिश्र दलाल के रूप में 29/08/2015 से 28/08/2018 तक की विधिमान्यता अवधि के साथ पंजीकृत किया गया तथा उसे आलमंड्ज़ इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त दलाल को एक कारण बताओ नोटिस 16/06/2017 को जारी किया गया। उक्त दलाल ने दिनांक 17/07/2017 के अपने पत्र के द्वारा प्राधिकरण को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। कारण बताओ नोटिस के लिए अपने उत्तर में दलाल ने वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध किया था। उक्त दलाल के लिए वैयक्तिक सुनवाई आईआरडीएआई कार्यालय, तृतीय तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद में 13/09/2017 को संचालित की गई।

वैयक्तिक सुनवाई की अध्यक्षता सदस्य (गैर-जीवन) ने की। उक्त वैयक्तिक सुनवाई में दलाल कंपनी के श्री रोहित जैन, अध्यक्ष; श्री विजय कुमार सूरी, प्रधान अधिकारी; सुश्री श्वेता

गुप्ता, कंपनी सचिव; उपस्थित थे। प्राधिकरण की ओर से सदस्य (गैर-जीवन) के अलावा; श्री पी. के. मैती, महाप्रबंधक, प्रवर्तन; श्री विकास जैन, सहायक महाप्रबंधक, प्रवर्तन और श्री के. श्रीनिवास, सहायक महाप्रबंधक, मध्यवर्ती विभाग भी उपस्थित थे।

II. <u>आरोप, उनके उत्तर के रूप में प्रस्तुतीकरण और निर्णयः</u>

1. **आरोप 1**: आईआरडीए बीमा दलाल विनियम, 2013 के विनियम 31 में यह व्यवस्था है कि दलाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके आकार, स्वरूप और उसके व्यवसाय की जटिलता के लिए उसकी आंतरिक प्रणालियाँ पर्याप्त हों।

दलाल पुनर्बीमा स्थापन, पंजीकरण, व्यवसाय प्रशासन और जोखिम प्रबंधन सेवा के लिए किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा था। पुनर्बीमा स्थापनों की मात्रा और व्यवसाय के स्वरूप की जटिलता को ध्यान में रखते हुए अभिलेखों के रखरखाव, जोखिम संगणना और समग्र व्यवसाय प्रशासन की अयांत्रिक प्रणाली अपर्याप्त है।

उल्लंघनः ***किये जानेवाले पुनर्बीमा व्यवसाय के स्वरूप और जटिलता को देखते हुए व्यवसाय को संभालने के लिए दलाल के पास पर्याप्त आंतरिक प्रणालियाँ विद्यमान नहीं थीं, यह पाया गया कि उक्त पुनर्बीमा दलाल ने आईआरडीए बीमा दलाल विनियम, 2013 के विनियम 31 का उल्लंघन किया है।***

दलाल का प्रस्तुतीकरणः *दलाल ने प्रस्तुतीकरण किया कि अपने व्यवसाय के अभिलेखों के अनुरक्षण और उचित व्यावसायिक प्रशासन के लिए प्रारंभ में उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर खरीदा था, परंतु उस सॉफ्टवेयर में से कुछ भी श्रेष्ठता के परीक्षण के सामने टिक नहीं सका तथा इस कारण से वे एक्सेल आधारित प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे थे। तदुपरांत उन्होंने प्रस्तुतीकरण किया कि अपनी सभी पुनर्बीमा व्यवसाय से संबंधित आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए उन्होंने एसएआरबी सॉफ्टवेयर का उपयोग करना प्रारंभ किया तथा आगे वैयक्तिक सुनवाई के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि अपने सभी प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा व्यवसाय संबंधी लेनदेनों का ध्यान रखने के लिए उनके पास पूर्णतः प्रयोजनमूलक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है।*

निर्णयः दलाल के इस प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए कि अपने सभी बीमा और पुनर्बीमा संबंधी लेनदेनों का ध्यान रखने के लिए उनके पास पूर्णतः प्रयोजनमूलक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, इस आरोप पर जोर नहीं दिया गया।

2. **आरोप 2**: प्रत्यक्ष बीमा के संबंध में एक कॉरपोरेट ग्राहक (बीमाकृत) द्वारा दलाल को दिये गये दिनांक 07/02/2013 के अधिदेश (मैंडेट) तथा निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट था कि उक्त दलाल ने उपर्युक्त बीमाकृत ग्राहक की प्रत्यक्ष बीमा पॉलिसी को एक विदेशी दलाल जिसके पास भारत में दलाली करने का लाइसेंस नहीं था तथा प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए भारत में पंजीकृत एक अन्य भारतीय दलाल की सहायता से रखा था एवं उपर्युक्त बीमाकृत ग्राहक की बीमा पॉलिसी के संबंध में इन दोनों संस्थाओं के साथ उसने दलाली की साझेदारी की थी।

निरीक्षण और बीमाकृत ग्राहक से अधिदेश (07/02/2013) प्राप्त करने की अवधि के दौरान उक्त दलाल केवल एक पुनर्बीमा दलाल (पंजीकरण सं. 363) ही था तथा प्रत्यक्ष व्यवसाय की अपेक्षा करने की अनुमति उसको नहीं दी गई थी। अतः उक्त दलाल ने प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय रखने के द्वारा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 2(ओ) और आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 4 के अंतर्गत अनुसूची I के पैरा 2 का उल्लंघन किया था। उक्त दलाल ने प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय रखने के लिए भारत में लाइसेंस से रहित विदेशी दलाल (लाइसेंसरहित संस्था) को नियोजित करने एवं उनके साथ दलाली की साझेदारी करने के द्वारा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की अनुसूची VIए के अंतर्गत पैरा 3(बी) का भी उल्लंघन किया है।

उल्लंघनः *उक्त दलाल ने प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय स्थापित करने के द्वारा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 2(ओ) और आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 4 के अंतर्गत अनुसूची I के पैरा 2 का तथा भारत में लाइसेंस से रहित विदेशी दलाल (लाइसेंसरहित संस्था) को नियोजित करने और उनके साथ दलाली की साझेदारी करने के द्वारा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की अनुसूची VIए (आचरण संहिता) के अंतर्गत पैरा 3(बी) का उल्लंघन किया।*

दलाल का प्रस्तुतीकरणः *दलाल ने प्रस्तुतीकरण किया कि उन्होंने प्रत्यक्ष बीमा पॉलिसी पर कोई दलाली अर्जित नहीं की थी तथा उनके पास ग्राहक (बीमाकृत) से उनकी भारतीय और*

अंतरराष्ट्रीय आस्तियों के लिए एक संयुक्त बीमा कार्यक्रम का पता लगाने के लिए अधिदेश प्राप्त था। इसके लिए, उक्त अधिदेश में उल्लिखित तीनों पक्षकारों को मिलकर कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उन्होंने अन्य दलालों को व्यावसायिक शुल्क का भुगतान किया था।

निर्णयः प्रत्यक्ष व्यवसाय स्थापित करने के लिए उक्त दलाल तथा अन्य दो सस्थाओं (भारत में लाइसेंस से रहित एक विदेशी दलाल और दूसरा भारतीय प्रत्यक्ष बीमा दलाल) को प्राधिकृत करते हुए कॉरपोरेट ग्राहक (बीमाकृत) से प्राप्त अधिदेश (दलाल की नियुक्ति का पत्र) तथा अन्य दो संस्थाओं को दलाल के द्वारा दलाली की साझेदारी को दर्शानेवाले अन्य दस्तावोजों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त दलाल ने भारतीय बीमा कंपनी के पास प्रत्यक्ष बीमा पॉलिसी स्थापित की थी तथा अन्य भारतीय प्रत्यक्ष दलाल और एक विदेशी दलाल के साथ दलाली का साझा किया था। अतः उक्त दलाल ने आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 2(ओ) और आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 4 के अंतर्गत अनुसूची । के पैरा 2 का उल्लंघन किया था, यद्यपि उसे केवल पुनर्बीमा व्यवसाय को ही प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया था। उक्त दलाल ने प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक विदेशी दलाल (लाइसेंसरहित संस्था) को नियोजित करने और उनके साथ दलाली की साझेदारी करने के द्वारा आईआरडीए (बीमा दलाल) 2013 के विनियम 28 के अंतर्गत अनुसूची VIए (आचरण संहिता) के अंतर्गत पैरा 3(बी) का भी उल्लंघन किया है।

यह स्पष्ट है कि दलाल ऐसी प्रथा में लिप्त होने के द्वारा जो ऊपर बताये अनुसार उक्त विनियमों का अनुपालन नहीं करती, वित्तीय रूप से लाभान्वित हुआ है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102(बी) के अंतर्गत प्राधिकरण में निहित शक्तियों के अनुसार उक्त दलाल पर रु. 5 लाख (केवल पाँच लाख रुपये) का अर्थ-दंड लगाया जाता है।

3. **आरोप 3:** यह पाया गया कि दलाल अपनी समूह कंपनियों अर्थात् आलमंड्ज़ ग्लोबल सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड और आलमंड्ज़ इंश्योरेंस ब्रोकर्स के कार्यालयों, कर्मचारियों और अन्य व्ययों की साझेदारी करने के व्यवहार में था। निरीक्षण टीम द्वारा देखे गये कार्यालय परिसर के लिए एक अलग किराया करार समूह कंपनी - आलमंड्ज़ ग्लोबल सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड के साथ था, तथापि, उक्त परिसर में दलाल के कार्यालय स्थान की स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई गई। अतः लेखा-बहियों में अभिव्यक्त विभिन्न व्ययों की साझेदारी की सत्यता संदेह के अधीन है। उक्त किराया करार की एक प्रति की जाँच की गई।

उल्लंघनः चूँकि दलाल के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ, जैसे पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपस्कर और अपने कार्यकलाप प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षित श्रमशक्ति नहीं थीं, अतः उसने आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8(2)(ii) का उल्लंघन किया है।

दलाल का प्रस्तुतीकरणः दलाल ने प्रस्तुतीकरण किया कि समूह कंपनियों के स्थान के बीच सुस्पष्ट सीमांकन है तथा उनके पास पर्याप्त श्रमशक्ति और बुनियादी सुविधाएँ हैं और व्ययों की साझेदारी बिजली, पानी, भोजन-व्यवस्था (पैंट्री) आदि सामान्य व्ययों के लिए आनुपातिक आधार पर है।

निर्णयः दलाल के प्रस्तुतीकरण के आधार पर, उक्त आरोप पर बल नहीं दिया गया। परंतु दलाल को समूह कंपनियों के साथ साझेदारी करते समय स्थान और अन्य संसाधनों का स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित करने तथा स्वतंत्र संव्यवहार (आर्म्स लेंग्थ) संबंध रखने के लिए कहा गया।

4. **आरोप 4:** आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 34(बी) के अनुसार लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा/सम्मिश्र दलाल को चाहिए कि वह विदेशी दलाल से प्राप्त सेवा के लिए उनके साथ 50% से अधिक दलाली का साझा न करे। इस संबंध में यह पाया गया कि उपर्युक्त विनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दलाल के पास कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

उल्लंघनः दलाल ने अपने प्रस्तुतीकरण की सच्चाई को दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा उसने इस संबंध में निरीक्षण टीम को करारों अथवा किन्हीं वित्तीय विवरणों की प्रति प्रस्तुत नहीं की। ऐसे किसी दस्तावेज के अभाव में इसे आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 34(3) का उल्लंघन माना जा सकता है। इसके अलावा, वैयक्तिक सुनवाई के बाद दलाल ने इस संबंध में लेनदेन स्तरीय डेटा प्रस्तुत किया।

दलाल का प्रस्तुतीकरणः दलाल ने प्रस्तुतीकरण किया कि उन्होंने कभी उपर्युक्त विनियम का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुतीकरण किया कि विभिन्न विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विप्रेषण प्रलेख (रेमिटेन्स डॉक्युमेंट) बहुस्तरीय जाँच की शृंखला से गुजरता है। इसके अलावा, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान दलाल ने दलाली की

साझेदारी के संबंध में लेनदेन स्तरीय डेटा प्रस्तुत करने का वचन दिया, जो दलाल के द्वारा बाद में प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण और दलाल के द्वारा प्रस्तुत किये गये डेटा के संयोजन को ध्यान में रखते हुए आरोप पर बल नहीं दिया गया। तथापि, दलाल को इस संबंध में आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 34(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया।

5. **आरोप 5:** बीमा दलाल के द्वारा अपेक्षित की गई नमूना पॉलिसियों से यह पाया गया कि दलाल ने बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित रूप में अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त नहीं किया तथा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 28 का उल्लंघन करते हुए वह ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर शर्तों को विकसित कर रहा था।

उल्लंघनः यह पाया गया कि दलाल ने आचरण संहिता से संबंधित आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 28 के अंतर्गत अनुसूची VIए के पैरा 2(एच) का उल्लंघन किया।

दलाल का प्रस्तुतीकरणः दलाल ने प्रस्तुतीकरण किया कि बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बीमा दलाल से अपेक्षा करनेवाली आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 28 के अंतर्गत आचरण संहिता प्राथमिक रूप से सभी प्रत्यक्ष बीमा दलालों के लिए लागू है तथा उसने एक पुनर्बीमा दलाल होने के कारण पॉलिसी स्थापन के लिए मेल द्वारा ग्राहकों से अनुदेश प्राप्त किये थे तथा किसी भी समय किसी भी बीमा कंपनी ने उनके द्वारा किये गये स्थापन को अस्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा, उसने प्रस्तुतीकरण किया कि पुनर्बीमा व्यवसाय में अध्यर्पक (सीडैंट) व्यवसाय के स्थापन के लिए केवल ई-मेल द्वारा पुष्टि जारी करता है तथा वह अधिदेश पत्र के समान है। कोई भी अध्यर्पक अन्य कोई अधिदेश पत्र नहीं देता।

निर्णयः इस प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए कि दलाल ई-मेल के द्वारा अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त कर रहा था, उक्त आरोप पर बल नहीं दिया गया। तथापि, दलाल को समय- समय पर

यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 28 के अंतर्गत अनुसूची VIए के पैरा 2(एच) की अपेक्षा का पालन करने के लिए सूचित किया गया।

6. **आरोप 6**: दलाल के द्वारा ली गई व्यावसायिक क्षतिपूर्ति के संबंध में दावे की घटना की तारीख के आधार पर सीमाएँ थीं। यह दलाल विनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड 2(ग) के उल्लंघन में था। उक्त खंड यह उल्लेख करता है कि पॉलिसी को उस समय का विचार किये बिना बीमे की अवधि के दौरान किये गये सभी दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, जिस किसी भी समय दावा उत्पन्न करनेवाली घटना घटी हो।

उल्लंघनः दलाल ने आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13(1) के अंतर्गत अनुसूची III के पैरा 2(सी) के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

दलाल का प्रस्तुतीकरणः दलाल ने प्रस्तुतीकरण किया कि पॉलिसी के संबंध में 17 मार्च 2008 के रूप में एक पूर्वप्रभावी तारीख है। वैयक्तिक सुनवाई के दौरान दलाल ने व्यावसायिक क्षतिपूर्ति की वर्तमान पॉलिसी प्रस्तुत करने का वचन दिया। दलाल की वर्तमान व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी से यह पाया गया कि पूर्वप्रभावी तारीख 19/05/2006 के रूप में दी गई है, परंतु प्रथम लाइसेंस की तारीख जब आलमंड्ज़ इंश्योरेंस ब्रोकर (प्रत्यक्ष दलाल) के साथ दलाल संस्था का विलय हुआ, 29/08/2003 थी। दलाल ने प्रस्तुतीकरण किया कि दलाल ने उक्त विनियम के अनुसार पूर्वप्रभावी तारीख को संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की है।

निर्णयः दलाल के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए उक्त आरोप पर बल नहीं दिया गया है। तथापि, दलाल को व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वप्रभावी तारीख को संशोधित करने के द्वारा विनियम 13(1) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया।

III. <u>निर्णयों का सारांशः</u>

इस आदेश में निर्णयों का सारांश निम्नानुसार हैः

आरोप सं.	आरोप का संक्षिप्त शीर्षक और उल्लंघन किये गये उपबंध	निर्णय
1	**आरोपः** पर्याप्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। **उपबंधः आईआरडीए बीमा दलाल विनियम, 2013**	**बल नहीं दिया गया।**

	का विनियम 31	
2	**आरोपः** प्रत्यक्ष व्यवसाय का स्थापन और व्यवसाय के स्थापन में लाइसेंसरहित संस्था को नियोजित करना। **उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 2(ओ) और आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 4 के अंतर्गत अनुसूची I का पैरा 2 तथा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की अनुसूची VIए (आचरण संहिता) के अंतर्गत पैरा 3(बी)**	**5 लाख रुपये का अर्थ-दंड और निर्देश**
3	**आरोपः** आवश्यक **बुनियादी सुविधाएँ** नहीं हैं। **उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 8(2)(ii)**	**परामर्श**
4	**आरोपः** विदेशी दलाल के साथ 50% दलाली से अधिक साझेदारी करना। **उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का विनियम 34(3)**	**परामर्श**
5	**आरोपः** अध्यर्पकों (सीडैंट्स) से अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त नहीं कर रहा है। **उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 28 के अंतर्गत अनुसूची VIए का पैरा 2(एच)**	**परामर्श**
6	**आरोपः** वैयक्तिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी में पूर्वप्रभावी तारीख लाइसेंस की प्रथम तारीख के साथ मेल नहीं खा रही है। **उपबंधः आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के अंतर्गत अनुसूची III का पैरा 2(सी)।**	**निर्देश**

IV. निष्कर्षः

उक्त दलाल फर्म इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर इस आदेश के पैरा 1 से 6 तक में उल्लिखित सभी निर्देशों के संबंध में अनुपालन की पुष्टि करेगा।

जैसा कि संबंधित आरोपों के अंतर्गत निर्देश दिया गया है, उक्त बीमा दलाल के द्वारा रु. 5,00,000/- (केवल पाँच लाख रुपये) का अर्थ-दंड इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर एनईएफटी/ आरटीजीएस (जिसका विवरण अलग से सूचित किया जाएगा) के माध्यम से विप्रेषित किया जाएगा। विप्रेषण की सूचना श्री प्रभात कुमार मैती, महाप्रबंधक (प्रवर्तन), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004 को भेजी जाएगी।

आदेश उक्त दलाल फर्म की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष और बोर्ड की अगली बैठक में भी प्रस्तुत किया जाएगा तथा उक्त लाइसेंसप्राप्त संस्था विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की एक प्रति उपलब्ध कराएगी।

यदि उक्त दलाल इस आदेश के किसी भी निर्णय से असंतुष्ट महसूस करता है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

(पी. जे. जोसेफ)
सदस्य (गैर-जीवन)

स्थानः हैदराबाद
दिनांकः 20 नवंबर 2017